माननीय मुख्य मन्त्री महोदय
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषयः–शिक्षा विभाग में पातेय वेतन पर पदौन्नत किए गए अजा जजा वर्ग के अधिकारियों का पदावनत निरस्त करने एवं जल संसाधन विभाग तथा अन्य विभागो में पातेय वेतन पर की जा रही पदोन्नति में एस.सी./एस.टी. वर्ग को शामिल करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शिक्षा विभाग में राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 2 (9)शिक्षा–2/2010 दिनांक 18.05.2012 के द्वारा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी के पदो पर पातेय वेतन पर पदोन्नत किया गया, इसमें एस.सी./एस.टी. के अधिकारियों को भी नियमानुसार पदोन्नत किया गया था,

लेकिन बडे खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2 (9) शिक्षा–2/2010 दिनांक 13.06.2012 (प्रति संलग्न) के तहत केवल एस.सी./एस.टी. के 14 अधिकारियों को पदावनत किया गया है। जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारियों को यथावत रखा गया है। महोदय आपके शासन काल में यह दूसरा अवसर है तब एस.सी./एस.टी. के अधिकारियों को पदावनत किया गया है। इसको लेकर एस.सी./एस.टी. के शिक्षा विभाग में ही नही बल्कि पूरे प्रदेश में असंतोष फैल रहा है। साथ ही यह वर्ग अपना अपमान भी महसूस कर रहा है।

इसी प्रकार जल संसाधन विभाग में गलत तरीके से 304 विभिन्न अभियांत्रिकी पदो पर पातेय वेतन के आधार किए गए पदौन्नति में एक भी एस.सी./एस.टी. वर्ग का अधिकारी शामिल नही किया गया। साथ ही ज्ञात हुआ है कि कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता में 67 पद बैकलॉग के है उन्हें भी सामान्य वगै से पातेय वेतन पर भरा जा रहा हैं इसमें भी एस.सी./एस.टी का कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नही किया जा रहा है। जबकि इस वर्ग के अभ्यार्थी डी.पी.सी. की सारी पात्रता रखते है।(प्रति संलग्न है)

ज्ञात हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागो में पातेय वेतन पर पदौन्नति की जा रही है जिसमें भी एस.सी./एस.टी. वर्ग को शामिल नही किया जा रहा है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ कर इस वर्ग के खिलाफ षड़यन्त्र रचा जा रहा है।

अतः महोदय, आरक्षण मंच आपसे निवेदन करता है कि राज्य में एस.सी./एस.टी. वर्ग के भारी असंतोष को देखते हुए शिक्षा विभाग में किए गए पदावनत आदेश निरस्त किया जावे, एवं अन्य विभागो में की जा रही पातेय वेतन पदोन्नति (कार्यकारी व्यवस्था) में अजा जजा वर्ग को पूर्ण अनुपात में शामिल किया जावें।

सधन्यवाद।

ई. आशाराम मीण
महासचिव

जे.पी. विमल (से.नि. ८)
अध्यक्ष

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषयः—शिक्षा विभाग में पातेय वेतन पर पदौन्नत किए गए अजा जजा वर्ग के अधिकारियों का पदावनत निरस्त करने एवं जल संसाधन विभाग तथा अन्य विभागो में पातेय वेतन पर की जा रही पदोन्नति में एस.सी./एस.टी. वर्ग को शामिल करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शिक्षा विभाग में राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 2 (9)शिक्षा—2/2010 दिनांक 18.05.2012 के द्वारा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी के पदो पर पातेय वेतन पर पदोन्नत किया गया, इसमें एस.सी./एस.टी. के अधिकारियों को भी नियमानुसार पदोन्नत किया गया था,

लेकिन बडे खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2 (9) शिक्षा—2/2010 दिनांक 13.06.2012 (प्रति संलग्न) के तहत केवल एस.सी./एस.टी. के 14 अधिकारियों को पदावनत किया गया है। जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारियों को यथावत रखा गया है। महोदय आपके शासन काल में यह दूसरा अवसर है तब एस.सी./एस.टी. के अधिकारियों को पदावनत किया गया है। इसको लेकर एस.सी./एस.टी. के शिक्षा विभाग में ही नही बल्कि पूरे प्रदेश में असंतोष फैल रहा है। साथ ही यह वर्ग अपना अपमान भी महसूस कर रहा है।

इसी प्रकार जल संसाधन विभाग में गलत तरीके से 304 विभिन्न अभियांत्रिकी पदो पर पातेय वेतन के आधार किए गए पदौन्नति में एक भी एस.सी./एस.टी. वर्ग का अधिकारी शामिल नही किया गया। साथ ही ज्ञात हुआ है कि कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता में 67 पद बैकलॉग के है उन्हें भी सामान्य वगै से पातेय वेतन पर भरा जा रहा हैं इसमें भी एस.सी./एस.टी का कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नही किया जा रहा है। जबकि इस वर्ग के अभ्यार्थी डी.पी.सी. की सारी पात्रता रखते है।(प्रति संलग्न है)

ज्ञात हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागो में पातेय वेतन पर पदौन्नति की जा रही है जिसमें भी एस.सी./एस.टी. वर्ग को शामिल नही किया जा रहा है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ कर इस वर्ग के खिलाफ षड़यन्त्र रचा जा रहा है।

अतः महोदय, आरक्षण मंच आपसे निवेदन करता है कि राज्य में एस.सी./एस.टी. वर्ग के भारी असंतोष को देखते हुए शिक्षा विभाग में किए गए पदावनत आदेश निरस्त किया जावे, एवं अन्य विभागो में की जा रही पातेय वेतन पदोन्नति (कार्यकारी व्यवस्था) में अजा जजा वर्ग को पूर्ण अनुपात में शामिल किया जावें।

सधन्यवाद।

ई. आशाराम मीण
महासचिव

जे.पी. विमल (से.नि. ौ)
अध्यक्ष